दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 14 सितंबर, 2023

<u>वै.अ.(कु.न्या.) 207/2023</u>

अंजुली ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री फ्रांसिस पॉल, अधिवक्ता सह अपीलार्थी स्वयं।

बनाम

विनोद कुमार हंडा ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री वंदना खुराना, अधिवक्ता सह प्रत्यर्थी स्वयं।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u> *(मौखिक)*

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 (*इसके बाद* "हि.वि.अधि., 1955" *के रूप में संदर्भित*) सहपठित आदेश 41 नियम 1 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत वर्तमान अपील अपीलार्थी की ओर से विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित निर्णय एवं विवाह विच्छेद की डिक्री के विरुद्ध दिनांक 29.07.2006 को दायर की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/पति को हि.वि.अधि. 1955 की धारा 13(1)(झक) एवं 13(1)(झख) के तहत विवाह विच्छेद प्रदान किया गया है।

2. पक्षकारों ने हिंदू रीति-रिवाज एवं संस्कार के अनुसार दिनांक 06.12.1985 को शादी की और उनके विवाह से दिनांक 08.09.1986 को एक पुत्र, रूपांक हांडा का जन्म हुआ।

3. प्रत्यर्थी/पति द्वारा यह दावा किया गया था कि विवाह के दिन से, अपीलार्थी/पत्नी को समय-समय पर अपने माता-पिता से मिलने की आदत थी और कई बार, वह प्रत्यर्थी/पति और उसके परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना सीधे उस स्कूल से माता-पिता के घर जाती थी जहां वह पढ़ा रही थी। अपीलार्थी/पत्नी भी लंबे समय तक अपने माता-पिता के साथ टेलीफोन पर बातचीत करती रही। उसकी माँ और बहनें नियमित रूप से पक्षकारों के दिन-प्रतिदिन के जीवन में हस्तक्षेप करती थीं और प्रत्यर्थी/पति को मामूली से मामूली दैनिक मामलों पर भी सलाह दी जाती थी।

4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी/पत्नी ने एक बैंक लॉकर खोला था और बार-बार पूछने के बावजूद, उसने अपने बैंक लॉकर के विवरण का खुलासा नहीं किया। अपीलार्थी/पत्नी ने पारिवारिक समारोहों जैसे कि पहले दिनांक 13.01.1996 पर *लोहड़ी* और बाद में अपने बेटे के *नामकरण* समारोह पर मुद्दे उठाए क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी एक वीडियो फिल्म तैयार की जाए, हालांकि ये नियमित रूप से छोटे पारिवारिक समारोह थे। अपीलार्थी/पत्नी द्वारा बच्चे की देखभाल भी ठीक से नहीं की जाती थी। यह दावा किया गया था कि प्रत्यर्थी/पति की मां ने नाबालिग बच्चे की देखभाल के लिए अक्टूबर,

1987 के आसपास इंडियन एक्सप्रेस के साथ नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी/पत्नी ने स्वयं घर के काम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जरूरत के समय उनके परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन करने से भी इनकार कर दिया और बड़ी अनुनय के बाद भी, उन्होंने अनिच्छा के साथ एक छोटी राशि का योगदान दिया। यह भी दावा किया जाता है कि अपीलार्थी/पत्नी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह परिवार के प्रति एक बड़ा दान कर रही हो। उसने प्रत्यर्थी/पति से आग्रह किया कि उन्हें माता-पिता से अलग रहना शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए प्रत्यर्थी/पति के माता-पिता अंततः मान गए और पक्षकार वर्ष 1990 से अपने घर की पहली मंजिल पर अलग रहने लगे।

6. तथापि, अपीलार्थी/पत्नी का रवैया नहीं बदला और वह प्रत्यर्थी/पति और परिवार के सदस्यों के प्रति उदासीनता के साथ व्यवहार करती रही। वह परिवार के सदस्यों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती थी और छोटी-छोटी बातों पर भी उनका अपमान करती थी।

7. इतना ही नहीं, मार्च, 1989 में किसी समय अपीलार्थी/पत्नी ने मोहल्ले में उपद्रव करना शुरू कर दिया, जिस पर उसकी माँ, भाइयों, बहनों और उनके

पतियों के साथ प्रत्यर्थी/पति के पास आई और उसके साथ हाथापाई, दुर्व्यवहार और अपमान किया।

8. प्रत्यर्थी/पति ने अपीलार्थी/पत्नी के नाम पर एक स्कूटर बुक किया, लेकिन जब प्रत्यर्थी/पति ने अपीलार्थी/पत्नी से उक्त स्कूटर के हस्तांतरण के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और दिनांक 30.10.1991 को प्रत्यर्थी/पति के साथ झगड़ा किया।

9. दिनांक 01.11.1991 पर, अपीलार्थी/पत्नी ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई और प्रत्यर्थी/पति को थाने में तलब किया गया। प्रत्यर्थी/पति को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत देने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद, प्रत्यर्थी/पति को सी.ए.डब्ल्यू. प्रकोष्ठ, पश्चिम जिला, थाना राजौरी गार्डन से दिनांक 25.11.1991 को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलार्थी/पत्नी ने दहेज की मांगों के झूठे आरोप लगाए और दावा किया कि *स्त्रीधन* का दुरुपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी/पति को गंभीर मानसिक तनाव और आघात हुआ। अपीलार्थी/पत्नी ने भरण-पोषण का दावा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत याचिका भी दायर की।

10. इसलिए प्रत्यर्थी/पति ने एचएमए,1955 की धारा 13(1)(झक) व 13(1)(झख) के तहत विद्वान कुटुंब न्यायालय के समक्ष क्रूरता और त्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करते हुए एक याचिका दायर की।

11. तत्पश्चात, प्रत्यर्थी/पति ने अतिरिक्त आधार सम्मिलित करने के लिए एक संशोधन आवेदन दायर किया जिसे विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 10.01.1995 के माध्यम से अनुमति दी गई थी और उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी/पत्नी ने सिविल संशोधन संख्या 198/1995 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसकी अनुमति दी गई थी और प्रस्तावित संशोधनों की अनुमति नहीं दी गई थी। नतीजतन, एचएमए संख्या 137/1992 वाली याचिका को दिनांक 24.03.2000 को व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया।

12. इसके बाद, प्रत्यर्थी/पति ने एचएमए संख्या 277/2002 वाली वर्तमान नई विवाह विच्छेद याचिका दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी/पति ने नया आधार लेते हुए आरोप लगाया कि दिनांक 18.11.1991 की शिकायत में, अपीलार्थी/पत्नी ने दहेज की मांगों और उत्पीड़न के झूठे और तुच्छ आरोप लगाए, जो न केवल प्रत्यर्थी/पति के लिए बल्कि प्रत्यर्थी/पति के परिवार के सदस्यों के लिए मानसिक आघात के समान है। एचएमए संख्या 277/2002 वाली नई याचिका में आगे यह आरोप लगाया गया था कि दिनांक 06.12.1986 की शादी की

पहली सालगिरह पर, प्रत्यर्थी/पति ने पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली के *बैठक* रेस्टोरेंट में उत्सव की व्यवस्था की थी और दोस्तों और परिवार के सदस्यों को रात्रि भोज हेतु रात 08:00 बजे आमंत्रित किया गया था। अपीलार्थी/पत्नी ने यह दावा करते हुए घर छोड़ दिया कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ आएगी, लेकिन वह उत्सव में शामिल नहीं हुई, जिससे प्रत्यर्थी/पति को काफी शर्मिंदगी हुई।

13. यह आगे दावा किया गया कि मार्च, 1992 में *शिवरात्रि* के अवसर पर, प्रत्यर्थी की बहन, सुश्री नीलम और उनके पति ने शालीमार बाग में अपने नए घर के लिए समारोह की व्यवस्था की थी, जहाँ प्रत्यर्थी और उनके परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था। चूंकि, अपीलार्थी/पत्नी ने प्रत्यर्थी/पति के साथ अपना संबंध तोड़ दिया था और अपने घर की पहली मंजिल पर अलग रह रही थी, इसलिए वह प्रत्यर्थी/पति और उसके परिवार के सदस्यों को समारोह के लिए कार में उपहार आदि के साथ निकलते देख आई और हंगामा किया और सभी उपहार आदि सड़क पर फेंक दिए और प्रत्यर्थी/पति से भी भिड़ गई, जिन्होंने उपहार के पैकेट फेंकने से उसका विरोध करने की कोशिश की। इस घटना के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी/पति और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत शर्मिंदगी हुई।

14. दिनांक 24.04.1992 को , प्रत्यर्थी/पति ने पेट में तेज दर्द के कारण बेटे को रोते हुए सुना। वह बेटे को जयपुर गोल्डन अस्पताल ले गया, जहाँ अपीलार्थी/पत्नी दिनांक 25.04.1992 की सुबह पहुंची और बेटे को छुट्टी दिलाना चाहा। जब प्रत्यर्थी/पति और उसकी माँ ने अपीलार्थी/पत्नी को मना करने की कोशिश की और उससे पहले बच्चे को ठीक होने देने का अनुरोध किया, तो उसने अस्पताल में एक वीभत्स दृश्य बनाया और उन दोनों को गालियां दीं।

15. दिनांक 20.11.1993 को, प्रत्यर्थी/पति अपने बेटे की फीस जमा करने के लिए रामजस डे बोर्डिंग स्कूल, आनंद पर्वत, नई दिल्ली गए और अपने बेटे को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्कूल प्राधिकरण द्वारा अनुमति नहीं दी गई क्योंकि अपीलार्थी/पत्नी, जो उसी स्कूल में शिक्षक थीं, ने निर्देश दिया था कि पिता को बच्चे से मिलने न दिया जाए।

16. इतना ही नहीं, अपीलार्थी/पत्नी राष्ट्रीय बीमा कंपनी में पति के कार्यालय में प्रत्यर्थी/पति के सहयोगियों से मिली और उनके खिलाफ उनको भड़का दिया। अपीलार्थी/पत्नी ने यह आरोप लगाते हुए उनसे झूठी शिकायतें करना शुरू कर दिया कि प्रत्यर्थी/पति बुरे चरित्र का पुरुष, शराबी, व्यभिचारी और बेईमान व्यक्ति था और नौकरी में बनाए रखने के लिए अयोग्य था। दिनांक 13.12.1993 को, प्रत्यर्थी/पति को शाखा प्रबंधक द्वारा सूचित किया गया था कि अपीलार्थी/पत्नी ने उन्हें फोन किया था और जोर देकर कहा था कि प्रत्यर्थी

खराब चरित्र का व्यक्ति होने के कारण उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। दिनांक 13.05.1994 को, प्रत्यर्थी के कार्यालय में विकास अधिकारी श्री जे.एस. बजाज को एक महिला का फोन आया जिसमें उन्होंने स्वयं को अपीलार्थी होने का दावा किया और फिर से प्रत्यर्थी पर व्यभिचारी होने और कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। अपीलार्थी/पत्नी ने यह भी मांग की कि श्री जे.एस. बजाज, विकास अधिकारी को उस नए पते का खुलासा करना चाहिए जिस पर प्रत्यर्थी/पति और उनके परिवार के सदस्य स्थानांतरित हुए थे और जब उन्होंने इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया, तो अपीलार्थी/पत्नी ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

17. इसके अलावा, यह दावा किया गया कि अपीलार्थी/पत्नी ने बच्चे के लिए भरण-पोषण का दावा करते हुए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (इसके बाद "एचएएमए, 1956" के रूप में संदर्भित) की धारा 20 के तहत याचिका संख्या 33/1998 दायर की थी। अपीलार्थी/पत्नी ने प्रत्यर्थी/पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके चरित्र के खिलाफ मानहानि के आरोप भी लगाए। अपीलार्थी/पत्नी ने एचएएमए, 1956 की धारा 20 के तहत याचिका के पैराग्राफ 11 में प्रकथन किया कि "प्रत्यर्थी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं, शराब और अन्य बुराइयों पर खर्च कर रहा है"।

18. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि भले ही प्रत्यर्थी/पति और उसके माता-पिता अप्रैल, 1994 में संपत्ति के भूतल से स्थानांतरित हो गए थे, लेकिन

अपीलार्थी/पत्नी वहां रहती रही और बाद में उसने भारी राशि प्राप्त करने के बाद अपने घर की पहली मंजिल खाली कर दी, जो उसने 1997 में अपने लिए दूसरी संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था।

19. इस प्रकार प्रत्यर्थी/पति ने जोर देकर कहा कि वह क्रूरता के अधीन था और यह भी कि अपीलार्थी/पत्नी ने उसे दस साल से अधिक समय से छोड़ दिया था और स्थायी रूप से वैवाहिक संबंधों को तोड़ दिया था। इस प्रकार, हि.वि.अधि. सं. 277/2002 वाली नई विवाह विच्छेद याचिका के माध्यम से, प्रत्यर्थी/पति ने क्रूरता और त्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की, जिसकी अनुमति दिनांक 29.07.2006 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दी गई थी।

20. **अपीलार्थी/पत्नी ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति लेते हुए उक्त विवाह विच्छेद याचिका** का विरोध किया कि चूंकि पहली विवाह विच्छेद याचिका को दिनांक 24.03.2000 के आदेश के माध्यम से व्यतिक्रम रूप से खारिज कर दिया गया था, इसलिए वह वर्तमान दूसरी विवाह विच्छेद याचिका दायर करके उन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद की मांग नहीं कर सकता है।

21. अपीलार्थी/पत्नी ने इस बात से इनकार किया कि उसने एक असम्बद्ध और समस्याग्रस्त रवैया अपनाया था जैसा कि प्रत्यर्थी/पति द्वारा दावा किया गया था; बल्कि उसने जोर देकर कहा कि उसे प्रत्यर्थी/पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांगों के कारण परेशान किया गया था, लेकिन

उसने समझौता करने की कोशिश की और एक कर्तव्यनिष्ठ हिंदू पत्नी के रूप में संयुक्त परिवार में रहती रही।

22. अपीलार्थी/पत्नी ने अलग आवास की मांग करने से भी इनकार किया। अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि वास्तव में, प्रत्यर्थी/पति की उसके साथ रहने की कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि उसके अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे और इस अवैध संबंध से उसका एक बेटा भी हुआ था।

23. अपीलार्थी/पत्नी ने इस बात से इनकार किया कि उसने प्रत्यर्थी/पति को पहली मंजिल पर उसके साथ रहने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वास्तव में, वह खुद जानबूझकर उसके साथ रहने से बचता था क्योंकि उसकी अन्य महिलाओं में रुचि थी जिनका साथ छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था।

24. अपीलार्थी/पत्नी ने यह भी बताया कि स्कूटर उनके द्वारा खरीदा गया था जिसे प्रत्यर्थी/पति अवैध रूप से बेचना चाहते थे, जिसके लिए वह सहमत नहीं थीं। अपीलार्थी/पत्नी ने यह भी कहा कि 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 498ए और 406 के तहत प्राथमिकी के परिणामस्वरूप उनकी शिकायत सही थी और शिकायत में किए गए सभी दावे सत्य और सही थे।

25. अपीलार्थी/पत्नी ने यह भी समझाया कि उन्होंने अपने बेटे के भरण-पोषण के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 के

तहत याचिका दायर की जो कानून के तहत एक अधिकार था और प्रत्यर्थी/पति ने बेटे के पालन-पोषण की उपेक्षा की थी।

26. अपीलार्थी/पत्नी ने जोर देकर कहा कि यह वही है जिसे प्रत्यर्थी/पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाए थे और इसलिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

27. दलीलों के आधार पर मुद्दों को 24.02.2003 को तैयार किया गया था जो निम्नानुसार हैः-

> *"1. क्या विवाह समारोह के बाद प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था? ओपीपी।*
>
> *2. क्या वर्तमान याचिका दायर करने से पूर्व याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा दो साल से अधिक की अवधि के लिए बिना पर्याप्त कारण के छोड़ दिया गया था? ओपीपी।*
>
> *3. क्या वर्तमान याचिका पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है? ओपीपी।*
>
> *4. क्या याचिकाकर्ता के पास आदेश 7 नियम 41 सि.प्र.सं. के तहत वर्तमान याचिका दायर करने का कोई कारण नहीं है?? ओपीडी।*

5. क्या वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, यदि है, तो इसका प्रभाव क्या है? ओपीडी।

6. राहत।"

28. याचिका में किए गए प्रकथनों के समर्थन में, **प्रत्यर्थी/पति अभि.सा.1 के रूप में उपस्थित हुए** और अपनी माँ को **अभि.सा.2** के रूप में गवाह के रूप में अपने दावों के समर्थन में पेश किया।

29. **अपीलार्थी/पत्नी प्र.सा. 1 के रूप में उपस्थित हुई** और उन्होंने अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र दायर किया।

30. **विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने** अपीलार्थी/पत्नी द्वारा प्रस्तुत अभिकथन पर विचार किया और पाया कि निर्विवाद रूप से, हिन्दू विवाह अधिनियम संख्या 137/1992 वाली विवाह विच्छेद की पहली याचिका आदेश दिनांक 24.03.2000 के तहत व्यतिक्रम पर खारिज कर दी गई थी और बहाली के लिए आवेदन भी खारिज कर दिया गया था।, लेकिन प्रत्यर्थी/पति ने 1992 के बाद विवाह विच्छेद के नए आधारों पर विवाद किया था, जिससे कार्रवाई का एक नया कारण बना, जिस पर विवाह विच्छेद की याचिका सुनवाई योग्य थी। यहां तक कि 1992 से पहले हुई घटनाओं के संबंध में भी गुणागुण के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और पिछली याचिका को खारिज करना दूसरी विवाह विच्छेद याचिका में पूर्व निर्णय के रूप में काम नहीं आया।

31. हम पाते हैं कि वर्ष 2002 में प्रत्यर्थी/पति द्वारा दायर हिन्दू विवाह अधिनियम संख्या 137/1992 वाली नई याचिका में विवाह विच्छेद लेने के लिए विभिन्न नए आधार बताए गए हैं। विवाह विच्छेद मांगने का अधिकार तब तक वाद हेतुक बना रहता है जब तक कि विवाह बना रहता है और भले ही पहले की विवाह विच्छेद याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम सं. 137/1992 को दिनांक 24.03.2000 के आदेश के माध्यम से व्यतिक्रम पर खारिज कर दिया गया था और उन्हीं आधारों पर विवाद नहीं किया जा सकता था, लेकिन जैसा कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से देखा गया था, हिन्दू विवाह अधिनियम संख्या. 277/2002 वाली दूसरी विवाह विच्छेद याचिका में नए आधारों का अनुरोध किया गया था जो गुणागुण के आधार पर विचार किए जाने के योग्य थे। इसलिए, हिन्दू विवाह अधिनियम संख्या 277/2002 वाली बाद की विवाह विच्छेद याचिका पर पूर्व निर्णय के बारे में अपीलार्थी/पत्नी की प्रारंभिक आपत्ति निराधार थी।

32. पक्षकारों ने दिनांक 06.12.1985 को विवाह की और जब पार्टियां अलग हुई तब उनकी शादी लगभग नवंबर, 1991 तक चली। विवाह के इन छह वर्षों में, विभिन्न आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए हैं, जिनमें से पहला अपीलार्थी/पत्नी का अलग निवास के लिए आग्रह है। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया लेकिन कोई विशिष्ट इनकार नहीं है; बल्कि यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी/पत्नी स्वयं अपने वैवाहिक घर संख्या 26/104, पश्चिम

पटेल नगर, नई दिल्ली की पहली मंजिल पर अलग रह रही थी, जहाँ वह वर्ष 1990 में स्थानांतरित हुई थी। प्रत्यर्थी/पति उसी घर की पहली मंजिल पर एक अलग निवास स्थापित करने के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। वर्ष 1990 में यह पृथक निवास अपीलार्थी/पत्नी के प्रत्यर्थी/पति के परिवार के साथ समायोजन के मुद्दों को स्पष्ट रूप से बताता है।

33. प्रत्यर्थी/पति द्वारा अपनी गवाही में अपीलार्थी/पत्नी के समायोजन करने में समर्थ नहीं होने और व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखने के अपने दावे की पुष्टि करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का वर्णन किया गया है। प्रत्यर्थी/पति ने बयान दिया है कि उनकी पहली शादी की सालगिरह पर, उन्होंने *बैठक* रेस्टोरेंट में एक पार्टी की व्यवस्था की थी, लेकिन अपीलार्थी/पत्नी अपने परिवार के सदस्यों के साथ समारोह में शामिल होने में विफल रही।

34. प्रत्यर्थी/पति द्वारा सुनाई गई दूसरी घटना मार्च, 1992 की है, जब वह और उसके माता-पिता अपनी बहन सुश्री नीलम और उनके पति के शालीमार बाग में नए घर के समारोह में भाग लेने के लिए उपहारों के साथ कार में सवार हो रहे थे। अपीलार्थी/पत्नी उन्हें कार में चढ़ते देख पहली मंजिल से नीचे आई और हंगामा किया। उसने उपहारों को फेंक दिया और प्रत्यर्थी/पति के साथ भी हाथापाई की। पुनः अपीलार्थी/पत्नी द्वारा इस घटना का विरोध करने के लिए कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

35. प्रत्यर्थी/पति ने यह भी बयान दिया था कि वह दिनांक 24.04.1992 को अस्वस्थ बच्चे को जयपुर गोल्डन अस्पताल ले गया था, लेकिन अपीलार्थी/पत्नी ने उसे अस्पताल से छुट्टी दिलाने पर जोर दिया, भले ही वह ठीक नहीं हुआ था।

36. व्यक्तिगत रूप से विचार करने पर उपरोक्त घटनाएं तुच्छ लग सकती हैं, लेकिन जब सामूहिक रूप से विचार किया जाता है, तो वे स्थापित करते हैं कि पक्षों के बीच अनुकूलता और समायोजन के मुद्दे थे और अपीलार्थी/पत्नी ने परिवार में स्वयं को अच्छी तरह से समायोजित नहीं किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने वैवाहिक घर छोड़ दिया और दिनांक 01.11.1991 को अलग हो गईं।

37. अपीलार्थी/पत्नी ने दावा किया है कि उसने प्रत्यर्थी/पति को पहली मंजिल पर उसके साथ रहने के लिए कभी नहीं रोका या अंकुश लगाया, लेकिन स्वयं प्रत्यर्थी ही है जो उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि, प्रत्यर्थी/पति ने न केवल ऊपर वर्णित घटनाओं को समझाया है, जिससे उनके दिमाग में आशंका पैदा हुई है, बल्कि कारण इस तथ्य से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि अंततः अपीलार्थी/पत्नी ने सी.ए.डब्ल्यू. प्रकोष्ठ, राजौरी गार्डन में दिनांक 18.11.1991 को शिकायत दर्ज कराई थी और प्रत्यर्थी/पति को सी.ए.डब्ल्यू. प्रकोष्ठ के समक्ष तलब भी किया गया था।

38. अंततः प्रत्यर्थी/पति, उसके माता-पिता और उसकी बहनों, सुश्री नीलम और उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि अपीलार्थी/पत्नी ने दहेज की मांग के विभिन्न आरोप लगाए थे, लेकिन वर्तमान अपील में, वह दहेज के कारण परेशान या प्रताड़ित किए जाने के किसी भी आरोप को साबित कर पाने में समर्थ नहीं हो पायी।

39. जब अपीलार्थी/पत्नी से दहेज उत्पीड़न के आरोपों के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि अपनी जिरह में उसने शुरू में डीसीपी, सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठ, राजौरी गार्डन, दिल्ली को शिकायत प्र.अभि.सा.1/1 में बताया था कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। दहेज की मांगों पर पर्दा डाला और स्पष्ट दहेज मांगों का कोई विवरण नहीं दिया क्योंकि वह प्रत्यर्थी/पति के साथ सुलह करना चाहती थी। इसके बाद, उसने दावा किया कि पैसे की मांग की गई और फ्रिज, स्कूटर और अन्य सामान नहीं देने पर भी ताने दिए गए।

40. यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थी/पत्नी ने न केवल पति और उसके माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत की, बल्कि उसने प्रत्यर्थी की बहन और उसके पति को भी नहीं बख्शा। न केवल प्रत्यर्थी/पति बल्कि परिवार के सदस्यों को भी दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसाने और फिर किसी भी तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा दहेज उत्पीड़न की किसी भी घटना को साबित करने में समर्थ नहीं होने से अधिक क्रूर कोई कार्य नहीं हो सकता है।

41. अपीलार्थी/पत्नी ने न केवल प्रत्यर्थी/पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498क/406 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था, बल्कि प्रत्यर्थी/पति द्वारा यह बयान दिया गया है कि अपीलार्थी/पत्नी ने लगातार उसके चरित्र के खिलाफ आरोप लगाए और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। यहां तक कि एचएएमए, 1956 की धारा 20 के तहत अपनी याचिका में भी, जिसमें उन्होंने बेटे के भरण-पोषण का दावा किया था, उन्होंने प्रत्यर्थी/पति को नहीं बख्शा और उस पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। उसने इस हद तक जोर दिया कि प्रत्यर्थी/पति का इस अवैध संबंध से एक बेटा भी है। अपीलार्थी/पत्नी यहीं नहीं रुकी, उसने प्रत्यर्थी/पति के कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों को दिनांक 13.12.1993 को और फिर 13.05.1994 को बुलाया, और उस पर शराबी, व्यभिचारी और विभिन्न महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। अपीलार्थी/पत्नी के इस तरह के कृत्यों ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जो उसके चरित्र हनन के समान है जो काम के स्थान पर उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है।

42. पति या पत्नी द्वारा अवैध संबंधों के इस तरह के प्रख्यान को *विजय कुमार रामचंद्र भाटे बनाम नीला विजयकुमार भाटे* (2003) 6 एससीसी 334 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रूरता का कार्य माना गया है। जबकि पति द्वारा लगाए गए अनैतिकता और विवाहेतर संबंधों के आरोपों पर विचार-विमर्श करते हुए, अदालत ने कहा कि इस तरह के आरोप आरोपी के चरित्र, सम्मान

और प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य पर गंभीर हमला हैं और क्रूरता के सबसे खराब रूप के बराबर हैं। लिखित कथन में किए गए या प्रतिपरीक्षा के दौरान सुझाए गए ऐसे दावे, जो मानसिक पीड़ा, पीड़ा और पीड़ा का कारण बनते हैं, अपने आप में वैवाहिक कानून में क्रूरता की संशोधित अवधारणा के बराबर हैं।

43. हाल के मामले में *जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जैसवाल मजूमदार*, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 146, सेना में पति के वरिष्ठों को मानहानि कारक शिकायतें की गईं, जिसके लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित की गई और इसका उनके करियर की प्रगति पर प्रभाव पड़ा। यह देखा गया कि एक उच्च शिक्षित पति या पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप जो अपीलार्थी के चरित्र और प्रतिष्ठा को अपूरणीय रूप से क्षति पहुँचाने और अपने सहयोगियों, वरिष्ठों और समाज के बीच उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की प्रवृत्ति रखते हैं, बड़े पैमाने पर क्रूरता का गठन करते हैं।

44. प्रत्यर्थी/पति की जिरह में एक विशिष्ट सुझाव दिया गया था कि उसने मीनाक्षी नाम की एक महिला से शादी की थी और उससे उसका एक बच्चा है जिसे प्रत्यर्थी/पति ने पूरी तरह से गलत बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। प्रत्यर्थी ने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसने विवाह विच्छेद याचिका दायर की थी क्योंकि वह किसी अन्य महिला से शादी करने का इरादा रखता था।

45. दिलचस्प बात यह है कि अपीलार्थी/पत्नी ने अपने शपथ पत्र प्र.अभि.सा.1/9 में कहा कि वह अभी भी प्रत्यर्थी/पति के साथ उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार थी, हालांकि प्रत्यर्थी/पति अपने अवैध संबंध के कारण उसे रखने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में विशेष रूप से स्वीकार किया कि दिनांक 01.11.1991 से उसका प्रत्यर्थी/पति के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था और यह भी कहा कि उसे पता नहीं था कि प्रत्यर्थी का संबंध कितनी महिलाओं के साथ, है। उसने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रत्यर्थी/पति द्वारा अन्य महिलाओं पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा था जैसा कि उसने एचएएमए, 1956 की धारा 20 के तहत नाबालिग बच्चे के रखरखाव के लिए अपनी याचिका में दावा किया था।

46. अपीलार्थी/पत्नी ने आगे स्वीकार किया कि उसने लिखित वक्तव्य में मीनाक्षी के नाम का खुलासा इस आशा में नहीं किया था कि परस्पर पक्षों के बीच सुलह हो सकती है। जब कुछ भी सामने नहीं आया, तो एचएएमए, 1956 की धारा 20 के तहत अपनी याचिका में उसने स्पष्ट आरोप लगाया कि महिला का नाम मीनाक्षी है और उसके बेटे का नाम नितेश शर्मा उर्फ़ वैभव है। हालांकि उसने ऐसे आरोप लगाए, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसने न तो मीनाक्षी को देखा था और न ही नितेश शर्मा उर्फ वैभव को। वहां से कभी नहीं मिली

और उसे प्रत्यर्थि/पति संग मीनाक्षी के विवाह के विषय में व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं थी।

47. अपीलार्थी/पत्नी ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उसने दावा किया था कि प्रत्यर्थी/पति एक जुआरी था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसने उसे किसी बाहरी व्यक्ति के साथ जुआ खेलते नहीं देखा था, लेकिन उसने उसे अपनी माँ, मौसी और चाचा के साथ खेलते देखा था। अपीलार्थी/पत्नी प्रत्यर्थी/पति के शराबी, जुआरी या स्त्रीवादी होने के अपने अस्पष्ट आरोपों की पुष्टि कर पाने में असमर्थ थी।

48. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी/पत्नी इस तरह से बनाई गई परिस्थितियों के कारण घर की पहली मंजिल पर स्थानांतरित हो गयी , प्रत्यर्थी के माता-पिता वर्ष 1994 में प्रत्यर्थी के साथ इस घर से बाहर चले गए और अपीलार्थी/पत्नी 1997 में बड़ी राशि स्वीकार करने के बाद ही घर खाली करने के लिए सहमत हुई।

49. विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी/पति की गवाही का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अपीलार्थी/पत्नी ने उन्हें पहली मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी जहां अपीलार्थी/पत्नी स्वतंत्र रूप से रह रही थी और जब वह व्यक्तिगत सामान लेने गया, तो उसने उस पर गालियाँ दी और हर दूसरे दिन उसे और उसके परिवार के सदस्यों को धमकी दी कि वह

उसे गिरफ्तार करवा देगी। इस प्रकार प्रत्यर्थी की माँ ने 09.04.1994 को घर बेच दिया और प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के साथ नए घर में गया। अपीलार्थी/पत्नी ने उसे नए घर में उनके साथ जाने का अनुरोध किया, लेकिन उसने स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया और 1997 में बड़ी राशि मिलने के बाद ही घर खाली कर दिया। उसका स्पष्टीकरण यह था कि उसे कुछ बुरे तत्वों द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इस आशय का कोई ठोस सबूत नहीं था।

50. भारी मात्रा में साक्ष्य और अपीलार्थी/पत्नी की स्वीकारोक्ति साबित करती है कि प्रत्यर्थी/पत्नी को क्रूरता का शिकार होना पड़ा था जिससे वह विवाह विच्छेद का हकदार बन गया था।

51. इसलिए, हम पाते हैं कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, उचित निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थी को क्रूरता के आधार पर एचएमए, 1955 की धारा 13(1)(झक) के तहत क्रूरता के अधीन विवाह विच्छेद का हकदार था।

अभित्यजन

52. अपीलार्थी/पत्नी द्वारा अपनी जिरह में यह स्वीकार किया जाता है कि वह दिनांक 01.11.1991 के बाद से प्रत्यर्थी/पति से अलग रह रही है और उसका प्रत्यर्थी/पति के साथ कोई संपर्क नहीं है। उसने दावा किया था कि सी.ए.डब्ल्यू. प्रकोष्ठ, राजौरी गार्डन और अन्य वादों में अपनी शिकायत द्वारा, वह

प्रत्यर्थी/पति के साथ सुलह करने को प्रयासरत थी। वह दिनांक 01.11.1991 के बाद से प्रत्यर्थी/पति के साथ अपनी वापसी का कोई कारण नहीं बता पाई। वह प्रत्यर्थी/पति के साथ रहने के लिए किसी भी सुलह के प्रयास को साबित करने में असमर्थ रही।

53. यह साबित होता है कि अपीलार्थी/पत्नी का बारह वर्षों में प्रत्यर्थी/पति के साथ वैवाहिक संबंध फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं था, जब दिनांक 11.04.2002 को दूसरी विवाह विच्छेद याचिका संख्या 277/2002 दायर की गई थी। इसके बाद भी, ऐसा कोई रुख नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थी/पत्नी को प्रत्यर्थी/पति के साथ वैवाहिक संबंध फिर से शुरू करने में कोई दिलचस्पी थी।

54. विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि पक्षकार दिनांक 01.11.1991 के बाद से अलग रह रहे हैं और यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी/पत्नी का वैवाहिक दायित्वों को फिर से शुरू करने का कोई स्पष्ट इरादा था।

55. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी ने विवाह विच्छेद याचिका दायर करने से पहले दो साल से अधिक समय तक प्रत्यर्थी/पति को छोड़ दिया था।

56. पूर्वगामी चर्चा के लिए, हम पाते हैं कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए तर्कपूर्ण कारण दिए गए हैं कि अपीलार्थी/पत्नी ने प्रत्यर्थी/पति को छोड़ दिया था और एचएमए 1955 की धारा 13(1)(झक) व 13(1)(झख) के तहत विवाह विच्छेद को उचित रूप से मंजूरी दे दी है।

57. तदनुसार, हम वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं जिसे लंबित आवेदन, के साथ खारिज किया जाता है यदि कोई हो।

(न्या., सुरेश कुमार कैत)

(न्या., नीना बंसल कृष्णा)

14 सितंबर, 2023
एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*